भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 925
03 दिसम्बर, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

जनसंख्या नियंत्रण

925. **श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे:**
श्री उदय प्रताप सिंह:
श्री कृपाल बालाजी तुमाने:
श्री अजय निषाद:
श्री ओम पवन राजेनिंबालकर:
श्री देवजी पटेल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपाकरेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रितकरने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने हेतु कोई कदम उठाएहैं/उठाने का विचार किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार दो बच्चों की नीति के लिएकानून बनाने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकानून के कब तक बनाए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तोइसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार जनसंख्या वृद्धि को प्रतिस्थापनदर के अंतर्गत लाने वाले राज्यों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करनेका है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में नीति का प्रारूपतैयार करने के लिए कोई संयुक्त संसदीय समिति गठित करने का हैऔर यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो बढ़तीजनसंख्या को रोकने के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई कार्य-योजना क्या है;

(ङ) क्या वर्ष 2030 में देश की जनसंख्या के बारे में कोईअनुमान लगाया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है औरइस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं; और

(च) देश में जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि का राज्य-वार ब्यौराक्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क): वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण अर्जित करने के दीर्घकालिक उद्देश्य के साथ वर्ष 2020 में एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति तैयार की गई थी।

(ख) से(घ): ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारत जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य अर्जित करने की ओर अग्रसर है:

- कुल प्रजनन दर (टीएफआर) वर्ष 2019-20(एनएफएचएस-5) में 2.0 तक कम हो गई जो प्रतिस्थापन स्तर से कम है।
- 36 में से 31 राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों ने पहले ही प्रतिस्थापन स्तरीय प्रजनन (एनएफएचएस-5)अर्जित कर लिया है।
- आधुनिक गर्भनिरोधक उपयोग में 56.5% (एनएफएचएस) तक कमी हो गई है।
- परिवार नियोजन के संबंध में पूरी न की गई आवश्यकताओं में 9.4% (एनएफएचएस-5) की गिरावट हुई है।
- क्रूड जन्म दर (सीबीआर) में वर्ष 2019 में 19.7 (एसआरएस) तक गिरावट हुई है।

परिवार नियोजन एक लक्ष्य मुक्त कार्यक्रम है तथा सरकार स्वेच्छा आधारित सेवाएं तथा विकल्पों की सूचना उपलब्ध कराती है।

सरकार विभिन्न स्कीमों को कार्यान्वित कर रही है जो जनसंख्या नियंत्रण में सहायक रही हैं, इनमें से कुछेक नीचे दी गई हैं:-

1. **मिशन परिवार विकास:** गर्भ निरोधक तथा परिवार नियोजन की सुलभता में पर्याप्त वृद्धि करने हेतु मिशन परिवार विकास प्रारंभ किया है। इन राज्यों में सात सर्वाधिक ध्यान केंद्रित वाले राज्य (उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और असम) तथा छः पूर्वोत्तर राज्य (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड तथा मिजोरम) शामिल हैं।
2. **विस्तारित गर्भ निरोधक विकल्प**: वर्तमान गर्भ निरोधकों की श्रृंखला में कंडोम, संयुक्त ओरल गर्भनिरोधक गोलियां, आपात गर्भनिरोधक गोलियां, अंतरगर्भाशयी गर्भनिरोधक डिवाइस (आईयूसीडी) और इंजेक्टेबल गर्भनिरोधक (अंतरा प्रोग्राम) तथा सेंटक्रोमेन (छाया) नामक दो नए गर्भ निरोधकों को भी शामिल किया गया है।
3. **बंध्याकरण स्वीकारकर्ता क्षतिपूरक योजना** जिसके तहतबंध्याकरण करवाने के लिए लाभार्थी को उसके मेहनताने की हानि के लिए क्षतिपूर्ति और सेवा प्रदाता दल को भी प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है।
4. **प्रसवोपरांत अंतरगर्भाशयी गर्भनिरोधक डिवाइस (पीपीआईयूसीडी)** सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
5. लाभार्थियों को **आशाकर्मियों द्वारा घर पर गर्भनिरोधकों की प्रदानगी योजना** चलायी जा रही है ।
6. **परिवार नियोजन संभार प्रबंधन सूचना प्रणाली (एफपी-एलएमआईएस):** स्वास्थ्य सुविधाओं के सभी स्तरों पर परिवार नियोजन संबंधी सामग्री के सुचारू पूर्वानुमान, खरीद और वितरण को सुनिश्चित करने हेतु एक प्रतिबद्ध सॉफ्टवेयर शुरू किया गया है।

(ङ): भारत के महापंजीयक (आरजीआई) की अध्यक्षता में जनसंख्या पूर्वानुमान संबंधी तकनीकी समूह (टीजीपीपी)कीजुलाई 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2030 में, देश की जनसंख्या 1.47 बिलियन होने का अनुमान है।

(च): जनसंख्या में औसत वार्षिक वृद्धि का राज्यवार विवरण अनुलग्नक पर है।

अनुलग्नक

2001-2011के दौरान भारतीय जनसंख्या की राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रवारऔसत वार्षिक वृद्धि दर (आरजीआई)

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	औसत वार्षिक घातांकीय वृद्धि दर (2001-2011)
1	दादरा और नगर हवेली	4.51
2	दमन और दीव	4.38
3	मेघालय	2.49
4	पुदुच्चेरी	2.48
5	अरुणाचल प्रदेश	2.33
6	बिहार	2.26
7	जम्मू और कश्मीर	2.15
8	मिजोरम	2.07
9	छत्तीसगढ़	2.06
10	झारखंड	2.04
11	राजस्थान	1.96
12	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1.92
13	मध्य प्रदेश	1.87
14	उत्तर प्रदेश	1.85
15	हरियाणा	1.83
16	गुजरात	1.77
17	उत्तराखंड	1.77
18	मणिपुर	1.72
	भारत	1.64
19	चंडीगढ़	1.59
20	असम	1.58
21	महाराष्ट्र	1.49
22	कर्नाटक	1.47
23	तमिलनाडु	1.46
24	त्रिपुरा	1.39
25	ओडिशा	1.32
26	पश्चिम बंगाल	1.31
27	पंजाब	1.3
28	हिमाचल प्रदेश	1.21
29	सिक्किम	1.17
30	आंध्र प्रदेश*	1.06
31	गोवा	0.79
32	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.65
33	लक्षद्वीप	0.61
34	केरल	0.48
35	नगालैंड	-0.05

* अविभाजित आंध्र प्रदेश

*****